न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

बॅटवारा वाद सं0–110 सन् 2024

उषा देवी वगैरह.....वादीगण।

बनाम

अखिलेश कुमार वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–10.10.2025

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से ऑर्डर 06 रूल 17 वो दफा 151 जाप्ते दीवानी दाखिल आवेदन दिनांक– 25.02.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि मुदईयान ने उपरोक्त बंटवारा मोकदमा दाखिल कर जायदाद मुन्दर्जे सिडियुल नंबर–1 वो 2 जैल अर्जिनालिश में अपना हिस्सा 2/9 को सर्वे जानकार अधिवक्ता के मार्फत अलग तख्ता कायम कर दखल कब्जा दिला देने के लिए दाखिल किया है। सिडियुल नंबर 01 जैल आर्जिनलिश में मुदईयान ने सभी मौरूसी जायदाद का विवरण दिया है जबकि सिडीयुल नंबर 2 आर्जिनलिश में जो जायदाद फरीकैन के खानदान में बजरीय बैनामा, नीलाम खरीदगी तथा बदलैन वगैरह से हासिल हुआ है, उसका पूर्ण विवरण दिया गया है। मुदईयान अर्जिनालिश के अन्य बयान के साथ–साथ कंडिका 25 में स्पष्ट बयान किये है कि मुदईयान अपने स्तर से सभी पुश्तैनी एवं हासिल खरीदगी जायदाद एवं अन्य का विवरण मोकदमा दाखिल करने के समय जो उपलब्ध था, उसका पूर्ण विवरण अर्जिनालिश के निचे क्रमशः सिडियुल नंबर 1 वो 2 में दिया गया है। साथ ही साथ मुदईयान ने यह भी बयान किया है कि उन्हें बहुत सा जायदाद का विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए जानकारी होने पर उन सभी जायदाद का विवरण तकरारी जायदाद में बाद में जोड़ देंगे। इस बीच मोकदमा दाखिल करने के पश्चात मुदईयान को कुछ मौरूसी वो कुछ हासिल खरीदगी जायदाद की जानकारी मिली है। इसलिए उन सभी जायदाद को आर्जिनलिश के सिडियुल नंबर 01 वो 02 में मरम्मती द्वारा निम्नानुसार जोड़ देना न्यायहीत में अति आवश्यक है। अर्जिनालिश में भी टाइपिस्ट के गलती से कुछ बातें गलत टाइप हो गया है, जिसका भी मरम्मती द्वारा सुधार होना न्यायहीत में अति आवश्यक है। प्रस्तावित मरम्मती से मोकदमा का स्वरूप नहीं बदलता है। अतः निवेदन है कि मन मुदईयान द्वारा दाखिल अर्जिनालिश के

न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

बँटवारा वाद सं0—110 सन् 2024

उषा देवी वगैरह.....वादीगण।

बनाम

अखिलेश कुमार वगैरह.....प्रतिवादीगण।

मरम्मती के आवेदन पत्र को स्वीकृत कर निम्नानुसार अर्जिनालिश में निम्नलिखित मरम्मती करने का अनुमति देने की कृपा की जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त संशोधन आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक—11.03.2025 को दाखिल कर कथन किया है कि वादी की ओर जिस उनवान वो बयान के साथ संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है वह मंजूर होने योग्य नहीं है, बल्कि काबिले खारिज होने योग्य है। वादी ने बराह बदनियती से अभी भी कई पैतृक संपत्तियों का ब्योरा सवाल संशोधन में मौजा—मानुपूर के खाता नं0— 329, 317, 02, 321, 54, 570, 190, 576, 400 सर्वे नं0— 819, 831, 2251, 318, 374, 351, 2205, 2204, 1020, 1793, 1832, 614, 640 वो मौजा—सैदपुर दिघवारा के खाता नं0— 273, 1179, 271, 846, 1005, 134 खेसरा नं0— 928, 3328, 3331, 552, 1296, 1306, 350, 70, 198, 199 वो अन्य जमीनों का ब्योरा नहीं दिया है, जिस कारण पाार्शियल बंटवारा के वजह से बंटवारा मुकदमा पोषणीय नहीं है। वादी ने बराह बदनियती बिना आधार वो बिना कागजात कई संपत्तियों को जोड़ने हेतु संधोशन लाया है, जो हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी का संशोधन सवाल कंडिका—01 गलत है, हरगिज वे 2/9 हिस्सा का हिस्सेदार नहीं है। वादी का सवाल संशोधन कंडिका 02 को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण का सवाल संशोधन कंडिका नं0—04, 05, 06 बिल्कुल गलत वो तथ्यहीन है। इस तरह का मरम्मती यदि स्वीकार किया जाता है तो मुकदमें का स्वरूप बिल्कुल ही बदल जाएगा। सवाल मरम्मती की सभी बिन्दु तथ्यहीन वो गलत है। किसी का ब्योरा स्पष्ट नहीं है, बल्कि संभावना के आधार पर यह संशोधन दिया गया है जो हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है। सवाल मरम्मती वादीगण यदि स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को काफी हानि होगी। अतः निवेदन है कि वादीगण का सवाल दिनांक 25.02.2025 को साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण अर्जीदावी में संशोधन तथा कुछ बातों को जोड़ने हेतु आवेदन

न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

बॅटवारा वाद सं0—110 सन् 2024

उषा देवी वगैरह.....वादीगण।

बनाम

अखिलेश कुमार वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दाखिल किया है। वादीगण का आवेदन में कथन है कि मुदईयान अर्जिनालिश के अन्य बयान के साथ—साथ कंडिका 25 में स्पष्ट बयान किये है कि मुदईयान अपने स्तर से सभी पुश्तैनी एवं हासिल खरीदगी जायदाद एवं अन्य का विवरण मोकदमा दाखिल करने के समय जो उपलब्ध था, उसका पूर्ण विवरण अर्जिनालिश के निचे क्रमशः सिडियुल नंबर 1 वो 2 में दिया गया है। साथ ही साथ मुदईयान ने यह भी बयान किया है कि उन्हें बहुत सा जायदाद का विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए जानकारी होने पर उन सभी जायदाद का विवरण तकरारी जायदाद में बाद में जोड़ देंगे। इस बीच मोकदमा दाखिल करने के पश्चात मुदईयान को कुछ मौरूसी वो कुछ हासिल खरीदगी जायदाद की जानकारी मिली है। इसलिए उन सभी जायदाद को आर्जिनलिश के सिडियुल नंबर 01 वो 02 में मरम्मती द्वारा जोड़ने हेतु दाखिल किया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त संशोधन आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि वादीगण ने बहुत से अभी भी कई पैतृक संपत्तियों का ब्योरा सवाल संशोधन में दाखिल नहीं किया है। वादीगण की ओर से उपरोक्त संशोधन आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है। चूंकि वाद बंटवारा हेतु दाखिल किया गया है तथा वाद वर्तमान में प्रारंभिक चरण में है। अर्जीदावी में संशोधन होने से वादपत्र के स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु अर्जीदावी में संशोधन करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 25.02.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादीगण उक्त संशोधन आवेदन के आलोक में अतिरिक्त बयान तहरीर दाखिल कर सकते हैं। वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।